

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1448
26 जुलाई 2022 को उत्तरार्थ

विषय: संधारणीय खेती

1448. प्रो. सौगत राय:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि जैविक/परम्परागत खेती के माध्यम से उत्पादित कृषि उत्पाद मौजूदा प्रकार की खेती की तुलना में संधारणीय होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में जैविक खेती के क्षेत्रों की शुरुआत की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जैविक खेती की पारंपरिक (वंशानुगत) खेती प्रणाली संसाधन उपयोग, उत्पादकता और पर्यावरण-प्रणाली सूचकांक (जैसे मृदा स्वास्थ्य और गैर-दूषित और पर्यावरण के अनुकूल उर्वरता) के संदर्भ में संधारणीय है।

(ग): सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) नामक समर्पित स्कीमों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को बीज, जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशकों, जैविक खाद, कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट, वनस्पति अर्क आदि जैसे जैविक आदानों के लिए पीकेवीवाई के अंतर्गत प्रति 3 वर्ष प्रति हेक्टेयर 31000 रुपये और एमओवीसीडीएनईआर के तहत प्रति 3 वर्ष प्रति हेक्टेयर 32500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, क्लस्टर/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन, प्रशिक्षण, प्रमाणन, मूल्य संवर्धन और उनके जैविक उत्पादों

के विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के नमामि गंगे के अंतर्गत गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती, और इसके अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए पीकेवीवाई के अंतर्गत वृहद क्षेत्र प्रमाणन भी शुरू किया गया है।

परंपरागत स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्रकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर जोर देती है और बायोमास मल्लिचंग, गाय के गोबर-मूत्र मिश्रणों के उपयोग और अन्य वनस्पति आधारित मिश्रणों पर प्रमुख जोर देने के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है। बीपीकेपी के अंतर्गत, क्लस्टर गठन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा निरंतर सहयोग, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3 वर्षों के लिए 12200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ड.): सरकार जैविक खेती क्षेत्रों में कोई भेद किए बिना देश भर में जैविक खेती का समर्थन कर रही है। वर्तमान में, 59.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है, जैसा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) द्वारा प्रमाणित किया गया है।
